जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/vg/11 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

दिल्ली मे सीबीआई ने दर्ज किया फर्जी प्रसार संख्या बता कर लाखो-करोड़ो रुपयों के सरकारी विज्ञापन लेने वाले समाचार पत्रों के खिलाफ मामला!!!

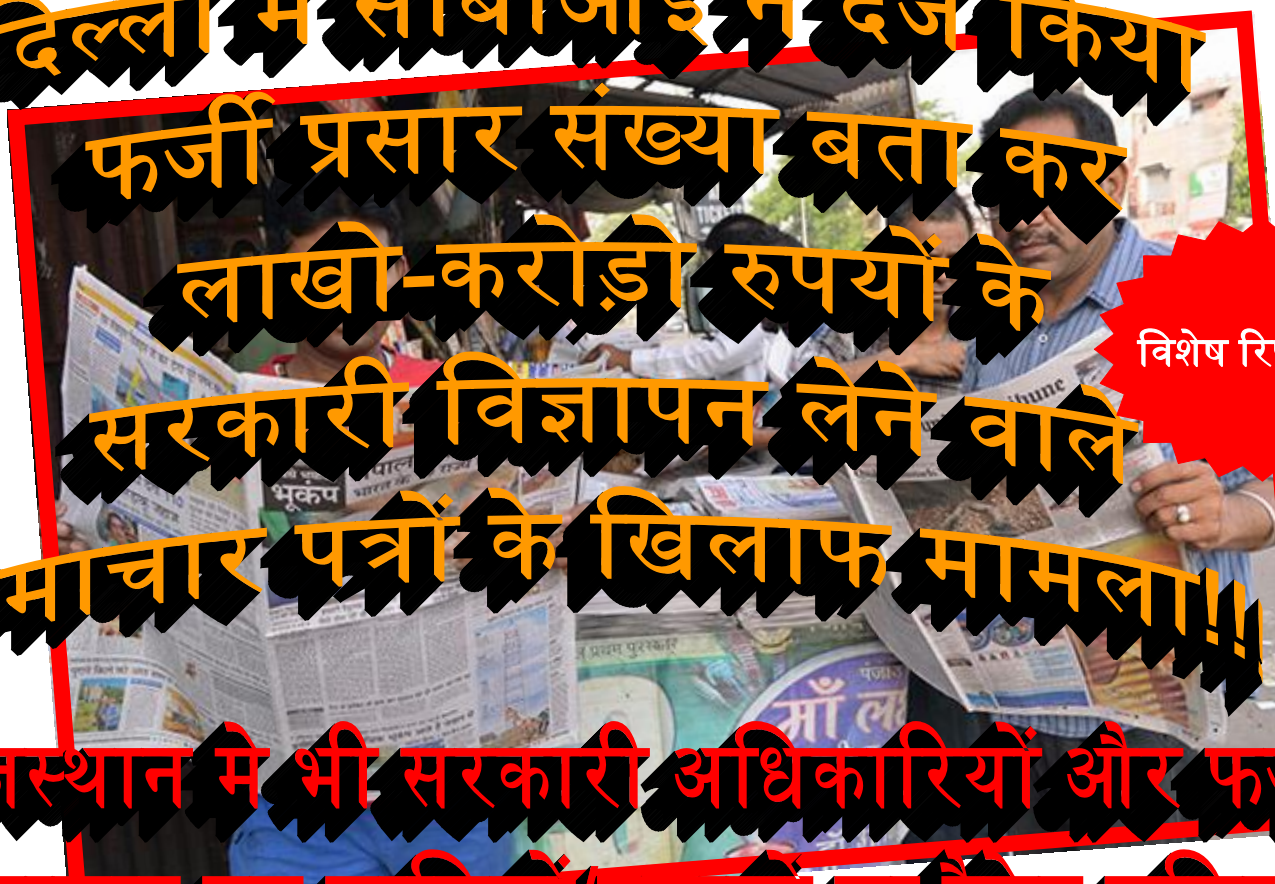

विशेष रिपोर्ट-11

राजस्थान मे भी सरकारी अधिकारियों और फर्जी समाचार पत्र मालिकों/दलालों का रैकेट सक्रिय!!!

सरकारी विज्ञापनों की बंदर-बाँट मे लाखो करोड़ो रुपयो की हराफेरी!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

दो साल से चल रहा था सीबीआई का अनुसंधान

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकारी विज्ञापन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अखबारों को पैनल में शामिल कराने के आरोप में अज्ञात सरकारी अधिकारियों और तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक मामले में, यह पाया गया कि छह समाचार पत्र- अर्जुन टाइम्स के दो संस्करण; 'हेल्थ ऑफ भारत' और 'दिल्ली हेल्थ; को सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए डीएवीपी में सूचीबद्ध किया गया था|

एजेंसी की आंतरिक जांच के दौरान यह पाया गया कि अखबार में उल्लेखित प्रिंटिंग प्रेस के पते से ऐसा कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया जा रहा था और न ही चार्टर्ड अकाउंट ने इसे लेकर कोई प्रमाण पत्र जारी किया था। सीबीआई ने रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई प्राथमिकी में कहा कि सरकारी इश्तिहारों को लेने के लिए जमा किए गए दस्तावेज जाली थे|

झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विज्ञापनों के लिए अखबारों को पैनल में शामिल कराने के आरोप में हरीश लांबा, आरती लांबा और अश्विनी कुमार सहित बीओसी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इन अखबारों ने धोखे से और बेईमानी से डीएवीपी से 2016 से 2019 तक 62.24 लाख रुपये के इश्तिहार हासिल किए|

एक अधिकारी ने कहा कि अगर अखबारों को पैनल में शामिल कराने की तारीख से गणना करें तो यह राशि अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि अन्य समाचार पत्रों के संबंध में भी ऐसी ही अनिमियतताओं का पता चला है। मामले की जांच के दौरान, सीबीआई के अधिकारी झंडेवालान स्थित प्रिंटिंग प्रेस गए थे और उसके मालिक दर्शन सिंह नेगी से मुलाकात की। जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि उनके यहां ऐसा कोई अखबार नहीं छपा है|

जांच के दौरान, एजेंसी ने पाया कि 'अर्जुन टाइम्स' के लिए 2017 में जमा किए गए कागजात में, अश्विनी कुमार को प्रकाशक के रूप में दिखाया गया था। हरीश लांबा अखबार के मालिक हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नेगी ने लांबा या कुमार से कभी मिलने से भी इनकार किया है और यह भी कहा कि अखबार उनकी प्रेस में कभी नहीं छपा|

राजस्थान मे भी सरकारी अधिकारियों,दलालों ,समाचार पत्र मालिकों और ऑफसेट वालों का सिंडीकेट सक्रिय|

ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी हो रहा है। यहां भी सरकारी विज्ञापनों की लूट खसोट के लिए हजारों लाखों की रोज प्रसार संख्या बताकर सरकारी कोष को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। डीआईपीआर के अधिकारी, जिला पीआरओ भी जानते हुए भी इस धोखाधड़ी में लिप्त है। शिकायत के बाद भी सरकारी खजाने को लूट रहे समाचार पत्रों की जांच भी नहीं कर रहे हैं। जो जांच में दोषी आ चुके है उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे फर्जी समाचार पत्र वाले अधिस्वीकृत पत्रकार कार्ड का फायदा लेकर पत्रकार आवास भूखण्डों में भी लूट मचा रखी है|

राजस्थान के अधिकतर सरकारी विज्ञापन मान्यता प्राप्त समाचार पत्र तमाम नियम कायदों को दरकिनार करते हुए सरकारी विज्ञापनों की लूट में लगे हुए हैं। न पत्रकारों का रोजगार दे रहे हैं, न ही उचित वेतन। सारी सुविधाएं भी अखबार मालिक अपने परिजनों को दिलवा रहे हैं|वहीं जीएसटी चोरी,टैक्स चोरी, बिजली चोरी, कागज खरीद चोरी,पत्रकारों के नाम से फर्जी वेतन भत्तों की चोरी भी खुलेआम की जा रही है|

जवाब मांगते सवाल?

1. कौन कौन अधिकारी है इस रैकेट मे शामिल?
2. राजस्थान मे कितने समाचार पत्र/पत्रिकाएँ फर्जी प्रसार संख्या बता कर सरकारी खजाने मे सेंध लगा रहे है?
3. कौन है इस रैकेट मे दलाल?जो कमीशन के चक्कर मे सरकारी विज्ञापनों की बंदरबाँट कर रहे है?
4. आज दिनांक तक सूचना एवं जन संपर्क विभाग मे इन फर्जी प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?
5. विभाग ने ऐसे कितने मामलों मे संबन्धित समाचार पत्रों की जांच करवाई गयी और दोषी समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की?

To,

The Superintendant of Police
CBI, ACB, Delhi

Sir,

A source information was received on the allegation that unknown public servants of Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP), now Bureau of Outreach and Communication (BOC) in collusion with Sh. Harish Lamba, Smt. Aarti Lamba and other unknown private persons have got the following newspapers empanelled with DAVP by furnishing false and fabricated documents:

1. Arjun Times, Newspaper Code-101684.
2. Health of Bharat, Newspaper Code- 129165.
3. Dainik Aman, Newspaper Code-129038.
4. Delhi Health, Newspaper Code- 127991.
5. Arjun Times, Newspaper Code- 101683.
6. Health of Bharat, Newspaper Code- 132876.

On the basis of source information, a Joint Surprise Check was conducted by CBI on 30.08.2019 in which it was learnt that the above named newspapers do not meet criteria to become eligible to be empanelled with DAVP but still got empanelled with DAVP in collusion with unknown public servants of DAVP. The said and unknown private persons submitted false documents including certificates of Chartered Accountants in this regard.

It was further alleged that the above named newspapers are shown to have printed and circulated around 1.5 lac copies (each containing 8 pages) per day whereas, the collective circulation of the said newspapers may not be more than 100-150 copies per day.

It was further alleged that the payments to the above named 6 newspapers for advertisement of social messages etc. are made by DAVP showing circulation of around 1.5 lakh copies per day whereas only 100-150 copies may be published per day which resulted a huge loss amounting to crores of rupees to State Exchequer by the above named persons in collusion

सीबीआई द्वारा दर्ज की गयी एफ़आईआर